कानून के समक्ष बराबरी से तिलमिलाए भारतीय विदेश सेवा के अफसर

अमेरिका ने वीसा छल और नौकरानी उत्पीड़न की आरोपी भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे पर कानूनी कार्यवाही क्या की, भारतीय तंत्र में मानो पूरा भूचाल आ गया | अपने एक सहयोगी को आम अपराधी की तरह अपमानित होते हुए देख भारतीय विदेश सेवा के अफसरों को तो उबलना था ही | इस भूचाल और उबाल के चलते देश के राजनीतिकों में भी जवाबी आक्रोश दिखाने की होड़ लग गयी है | वर्गीय ठेस को राष्ट्रीय अपमान का नाम दे दिया गया और अमेरिकी सरकार से माफी मांगने को कहा गया गया | यहाँ तक कि बिना भारतीय जनता के सामने सारी जानकारी रखे मांग की जा रही है कि अमेरिकी सरकार देवयानी के विरुद्ध आपराधिक मामला खत्म करे| जबकि देवयानी ने विदेशी धरती पर एक अन्य भारतीय नागरिक के विरुद्ध ही गंभीर अपराध किया है | अमेरिका ने, सही ही, न माफी माँगी और न ही मामला खारिज किया | लिहाजा बदले में भारत स्थित अमेरिकी राजनयिकों पर चौतरफा कूटनीतिक गाज गिराई जा रही है |

अमेरिकी कानून के मुताबिक, न्यूयार्क में भारत की उप महावाणिज्य दूत देवयानी ने एक बेहद संगीन ही नहीं बल्कि घिनौना अपराध किया है - जालसाजी से घरेलू नौकरानी संगीता रिचर्ड्स के लिए अमेरिकी वीसा लेने का और फिर उसे न्यूयार्क लाकर श्रम-दासता में रखने का | दासता के प्रश्न पर तो अमेरिका ने गृहयुद्ध तक झेला है और यह उनकी ऐतिहासिक विरासत का एक बेहद सम्वेदनशील पहलू है | पर भारतीय शासक वर्ग तो कानून अपने जूते पर रखने का आदी रहा है | अपने देश में घरेलू नौकरानी को नियमानुसार वेतन देने या उससे काम नियत घंटों अनुसार करवाने सम्बन्धी कानून की पालना की तो वह सोच भी नहीं सकता | कमजोर वर्ग के प्रति वह दया तो दिखा सकता है पर मानवीय हरगिज नहीं हो सकता | मानवाधिकार की बड़ी-बड़ी बातें वह करता है अपना सांस्कृतिक व राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, न कि कमजोर तबकों को सामाजिक/आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए |

देवयानी एक अनुसूचित जाति परिवार से है | उसके पिता महाराष्ट्र सिविल सेवा के अफसर रहे और आइ ए एस होकर रिटायर हुए | देवयानी स्वयं 1999 में भारतीय विदेश सेवा में आ गयी | पिता की शान और राजनीतिक प्रभाव तो छोड़िये, देवयानी भी आज करोड़ों की चल-अचल सम्पत्ति की मालिक है | शासक तबकों की स्वाभाविक वर्गीय सोच के तहत ही वह हिन्दुस्तान से संगीता को घरेलू कामगार के रूप में न्यूयार्क लाई | अमेरिकी वीसा कानूनों का पेट भरने के लिए देवयानी ने संगीता के साथ दिल्ली में एक करार का नाटक किया जिसके अनुसार वह

संगीता को अमेरिकी श्रम कानूनों के तहत 9 डालर प्रति घंटे की दर से वेतन देगी | अमेरिकी वीसा अधिकारियों की आँख में धूल झोंकने के लिए संगीता के वीसा आवेदन में इस करार को भी नत्थी किया गया पर यह सिर्फ दिखावा था |

भारतीय विदेश सेवा के अफसरों के लिए विभिन्न देशों में घरेलू कामगारों को ले जाने के लिए इस तरह की जालसाजी सामान्य है | एक बार प्रभु वर्ग में शामिल होने के बाद देश के कमजोर तबकों का शोषण उनका मूलभूत अधिकार जो बन जाता है | जाहिर है उन्होंने कामगारों से किये करार निभाने तो होते नहीं हैं | जब देश में ही घरेलू कामगार को नयूनतम वेतन देने का चलन नहीं है तो विदेशों में तो उसकी स्थिति और दयनीय होनी ही है | वहां तो वे पूरी तरह देवयानी जैसे मालिकों के रहमो-करम पर होते हैं | देवयानी ने न्यूयार्क में न सिर्फ संगीता को बहुत कम वेतन दिया बल्कि असीमित श्रम के तरीकों से भी उसे उत्पीड़ित किया जो अमेरिकी कानूनों के अनुसार गंभीर अपराध हैं | यह और बात है कि देवयानी की पोल जल्दी खुल गयी और वह स्वयं ही अमेरिकी न्याय व्यवस्था के हत्थे चढ़ गयी |

हुआ यूं कि जुलाई 2012 में कम वेतन और काम के लम्बे घंटों से तंग आकर संगीता एक दिन देवयानी के न्यूयार्क आवास से निकल गयी | घटनाक्रम से लगता है कि वह मैन्हैटन (न्यूयार्क) के अभियोजन अटार्नी प्रीत भरारा के कार्यालय के सम्पर्क में रही होगी | उसका पति और परिवार के कुछ अन्य सदस्य दिल्ली में विदेशी दूतावासों के लिए काम करते हैं | लिहाजा वे विदेशों में अपने अधिकारों को लेकर अपेक्षाकृत जागरूक भी होंगे ही | भारतीय मूल के अमरीकी अटार्नी भरारा ने पहले भी कई विशिष्ट भारतीयों की अमेरिका में आर्थिक/व्यावसायिक जालसाजी पकड़ी है | मौजूदा मामले में उनका कार्यालय लगातार अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास को लिखता रहा कि देवयानी अपनी स्थिति स्पष्ट करे | पर बजाय यह कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने के, देवयानी ने संगीता के खिलाफ अमेरिका और भारत में कानूनी पेशबंदी का मोर्चा खोल दिया | उसने एक ओर मैन्हैटन में संगीता के फरार होने की रपट दर्ज कराई, और दूसरी ओर दिल्ली की अदालत में संगीता पर करार तोड़ने का केस कर दिया |

देवयानी की गिरफ्तारी के लिए भरारा की मैनहैट्टन (न्यूयार्क) पुलिस का बर्ताव भारतीयों को अपमानजनक लग सकता है | उसे अदालत में पेश करते समय हथकड़ी लगाई गयी और पुलिस हिरासत में उसकी पूरी शारीरिक तलाशी ली गयी | उसे अन्य आरोपियों के साथ लाक-अप में रखा गया | पर ऐसा ही बर्ताव उनके यहां हर गिरफ्तारी में किया जाता है | इन मामलों में वे अमीर गरीब या ताकतवर कमजोर में भेदभाव नहीं करते| गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाना वहां की सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है | भारत में अमीर या ताकतवर को तो जेल में भी विशिष्ट व्यवहार मिलता है जबकि गरीब या कमजोर आरोपी को सौ गुणा अधिक अपमान झेलना पड़ता है | यदि देवयानी को अमेरिका में अमेरिकी कानूनों के अनुसार गिरफ्तार किया गया तो इसमें गलत क्या है? कुछ हल्कों में देवयानी के अनुसूचित जाति का होने का सवाल भी उठाया जा रहा है | सवाल यह है कि यदि कोई अश्वेत अमेरिकी अधिकारी भारत में आकर किसी अनिसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक अपशब्द कहे तो क्या उस पर उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी?

यह भी कहा गया है कि सारा 'तमाशा' संगीता द्वारा स्वयं को पीड़ित दिखाकर अमेरिकी नागरिकता हथियाने के लिए किया गया, और देवयानी की गिरफ्तारी के ऐन दो दिन पहले एटार्नी भरारा के कार्यालय ने संगीता के पति व बच्चों को अमेरिका बुला लिया जो उनके भी इस षड़यंत्र में शामिल होने का सूचक है | सोचने की बात है कि संगीता या उसके पति जैसे सामान्य भारतीयों का मैन्हैटन अटार्नी कार्यालय पर क्या जोर हो सकता है? पति को अमेरिकी कानूनों के तहत देवयानी मामले में आवश्यक गवाह होने के नाते बुलाया गया और छोटे बच्चे पीछे अकेले नहीं छोड़े जा सकते थे | देवयानी के प्रभावशाली पिता के अनुसार संगीता सी आई ए एजेंट हो सकती है | यदि ऐसा है तो उसे दिल्ली में रखना सी आई ए के लिए ज्यादा फायदेमंद होता न कि न्यूयार्क भेजना | अन्यथा भी वह भारतीय राजनयिक के घरेलू कामगार के रूप में सी आई ए को उपयोगी सूचनाएं दे पाती न कि उसके घर से भागकर |

जगजाहिर है कि अमेरिका अपने सुपर-पावर होने के नशे में अपने नागरिकों व राजनयिकों के लिए सारी दुनिया में विशिष्ट अपवादों की मांग करता आया है | भारतीय मानस, दिसंबर 1984 की भोपाल गैस-त्रासदी की हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी के भगोड़े मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडरसन को माफ़ नहीं कर सका है, जिसे अमेरिका ने कानूनी कार्यवाही भुगतने के लिए भारत भेजने से लगातार इनकार किया है | पाकिस्तान भी जनवरी 2011 में लाहौर में दो पाकिस्तानियों की अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी आई ए के कांट्रैक्ट कर्मचारी रेमंड डेविस द्वारा सरे राह हत्या को नहीं भुला सकता | इस मामले में, अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के चलते, आरोपी के बजाय हत्या का मुकदमा भुगतने के, उससे मृतकों के रिश्तेदारों को हर्जाना (ब्लड मनी) दिलाकर मामला खत्म करा दिया गया था | पर इन जैसे मामलों को अमेरिकी राजनीतिकों या मीडिया ने कभी राष्ट्रीय अपमान का मामला बना कर नहीं पेश किया; न एंडरसन या डेविस को उन्होंने अपना राष्ट्रीय हीरो बनाया |

अमेरिका में रहनेवाले लाखों अप्रवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए भारत सरकार के आक्रामक रवैये को समझ पाना मुश्किल है | अमेरिका में वे, कागजों में नहीं, व्यवहार में कानून के समक्ष बराबरी के सिद्धांत के आदी हैं | वे समझ नहीं पा रहे कि मौजूदा प्रकरण में कानून तोड़नेवाली देवयानी को भारत में इतना जबरदस्त कूटनीतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक समर्थन कैसे मिल रहा है, जबकि उत्पीड़ित संगीता के बारे में इनमें से किसी को सहानुभूति से सोचने तक की फुर्सत नहीं | वैसे, अपने बाप-दादों के देश को हर वर्ष अरबों डालर की बचत भेजने वाले इस 'भारतीय' समूह को दूतावासों में बैठे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के प्रभुता-सम्पन्न रवैये से दो चार होने का भी खासा अनुभव होता है | पर देवयानी जैसे मामले उन्हें सार्वजनिक रूप से व्यापक अमेरिकी समाज में बेहद पिछड़ा हुआ सिद्ध कर जाते हैं |

इस दौरान संगीता के पक्ष में भी घरेलू कामगार संगठनों के कुछ छुट-पुट प्रदर्शन हुए हैं | पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की इस मामले में चुप्पी समझ से बाहर है | उन्होंने मामले में अमेरिकी सरकार या अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से कोई स्थिति-रिपोर्ट तक नहीं ली है | भारत का विदेश मंत्रालय तो पूरी तरह से अफसरवाद की गिरफ्त में है, पर श्रम मंत्रालय को तो वस्तुपरक समीक्षा करनी चाहिए थी| क्या हमें नजर नहीं आता कि अमेरिकी अधिकारियों का नहीं, देवयानी का व्यवहार भारतीय राष्ट्र के लिए शर्म का

विषय है | परिस्थिति की मांग है कि भारत सरकार विदेश सेवा के इस दोषी अधिकारी पर, घरेलू कामगार के उत्पीड़न के आरोप में ही नहीं बल्कि भारत का नाम विदेशों में बदनाम करने के लिए भी, अपने अनुशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही करे |

(The writer, Shri V.N. RAI is former Director of National Police Academy, Hyderabad)